राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक -एफ-7 (4) विविध / अकाद / अकॉशि / 2020 / 1066

दिनांक 24.7.2020

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- स्नातक पार्ट- प्रथम वर्ष के लिए ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्नातक पार्ट -प्रथम वर्ष के लिए ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया की तिथियां निम्नानुसार रहेंगी।

ऑन लाईन प्रवेश कार्यक्रम - स्नातक पार्ट- प्रथम

क0सं0	विवरण	वार व तिथि
1	ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना- प्रारम्भ होने की तिथि	मंगलवार - 28 जुलाई 2020
2	आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	मंगलवार - 11 अगस्त 2020
3	महाविद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाईन सत्यापन की अन्तिम तिथि	शुक्रवार 14 अगस्त 2020
4	(अ) अन्तरिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन (ब) अभ्यर्थियो द्वारा ई-मित्र पर शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	सोमवार - 17 अगस्त 2020 शनिवार - 22 अगस्त 2020
5	प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन	मंगलवार - 25 अगस्त 2020
6	प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन	गुरूवार 27 अगस्त 2020
7	महाविद्यालय में ऑन लाईन स्नातक पार्ट प्रथम शिक्षण कार्य प्रारम्भ	शनिवार - 29 अगस्त 2020

श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये पुनः ऑन लाईन प्रवेश कार्यक्रम

क0सं0	विवरण	वार व तिथि
8	श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	बुधवार - 26 अगस्त 2020
9	श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये ऑन लाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	मंगलवार - 1 सितम्बर 2020
10	प्राप्त आवेदन पत्रों के ऑन लाईन सत्यापन की अन्तिम तिथि	बुधवार - 2 सितम्बर 2020
11	(अ) रिक्त स्थानों के लिये अन्तिम प्रतीक्षा की सूची का प्रकाशन (ब) अभ्यर्थियों द्वारा ई-मित्र कियोस्क पर शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	गुरूवार - 3 सितम्बर 2020 सोमवार - 7 सितम्बर 2020
12	प्रवेशित अभ्यर्थियो की सूची का प्रकाशन	मंगलवार - 8 सितम्बर 2020
13	नव प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवटन।	बुधवार - 9 सितम्बर 2020

कोरोना कोविड 19 के मद्देनजर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की एडवाईजरी के अनुसार अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जाच स्थिति सामान्य होने पर की जा सकेगी ।

(संदेश नायक, IAS)
निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,

क्रमांक:-एफ-7 (4) विविध / अकाद / अकॉशि / 2020 / 1066

दिनांक:- 24.7.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार , शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमती ज्योति लुहाड़िया अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर।
5. वेब प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा का अपलोड हेतु।

24/7/2020

(डॉ0 दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, राज0,जयपुर।

प्राचार्य
वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जालोर (राज.)

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.7(4)प्रदर्शनीति / अकाद / आकशि / 2020–21 / 1238 दिनांक 13 अक्टूबर 2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– दशहरा, दीपावली व शीतकालीन अवकाश बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कोविड–19 के चलते सत्र 2020–21 हेतु आकाशि कैलेण्डर जारी नहीं किये जाने के कारण समस्त महाविद्यालयों में दशहरा, दीपावली व शीतकालीन अवकाश निम्नलिखित तिथियों में घोषित किये जाते हैं –

1	दशहरा अवकाश	दिनांक 24.10.2020 से 25.10.2020	2 दिवस
2	दीपावली अवकाश	दिनांक 12.11.2020 से 16.11.2020	5 दिवस
3	शीतकालीन अवकाश	दिनांक 25.12.2020 से 27.12.2020	3 दिवस

भवदीय,

(संदेश नायक IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपि–
1. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया आयुक्तालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

(डॉ. दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

[illegible]
[illegible]
[illegible]

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमॉकः–एफ–7(4)प्रवेश / अकाद / आकाशि / 2020 / 6

जयपुर, दिनांक :– 7.1.2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषयः–राज्य के समस्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां दिनांक 18 जनवरी 2021 से पुनः प्रारम्भ करने बाबत् ।

संदर्भः–शासन सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प033(2)गृह–9 / 2019 दिनांक 06 जनवरी 2021 ।

राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से दिनांक 18 जनवरी 2021 से पुनः खोलने का निर्णय लिया गया है । राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया की अनिवार्यतः अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी । **दिनांक 18 जनवरी 2021 से स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर–उत्तरार्द्ध की ही कक्षाएं अध्ययन हेतु प्रारम्भ होंगी ।**

सभी महाविद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन एवं शेष 50 प्रतिशत उपस्थिति दूसरे दिन रहेगी । निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क सहित अन्य हैल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाये तथा इनका संचालन केन्द्र के दिशा निर्देशों एवं एसओपी के तहत् किया जाना सुनिश्चित करें ।

राज्य सरकार द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम के लिये जारी निम्न गाईड लाईन्स की अक्षरशः अनुपालना महाविद्यालय परिसर में सुनिश्चित की जावे :–

1. महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को उनके आगमन पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं सेनेटाईजशन करना अनिवार्य होगा ।
2. महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेसिंग) का ध्यान रखा जावे एवं विद्यार्थी / अभिभावक / स्टाफ अनावश्यक रूप से एकत्रित न हों ।
3. अध्ययन अवधि के दौरान महाविद्यालय में एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा । "No Mask No Entry" की पालना आवश्यक है एवं पीने के लिये पानी की बोतल लाना सुनिश्चित किया जावे ।
4. किसी विद्यार्थी द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर महाविद्यालय द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे ।
5. अध्ययन कक्ष में सोशल डिस्टेसिंग (06 फिट की दूरी) तथा प्रत्येक मंजिल पर क्लास रूम एवं फैकल्टी रूम को प्रतिदिन सेनेटाईज किया जावे एवं खिड़की / दरवाजों को खुला रखा जावे, ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे।
6. कैंटीन स्टाफ / कैंटीन काउंटर के सेनेटाईजेशन का ध्यान रखा जावे। विद्यार्थियों को सामग्री उपलब्ध कराते समय स्टाफ द्वारा सेनेटाईज दस्तानों का प्रयोग किया जावे।

प्राचार्य
वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जालोर (राज.)

7. कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे – रेलिंग, डोर हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार–बार सफाई की जायेगी ।
8. विद्यार्थियों को अपने कक्ष के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों के कक्ष में प्रवेश अनुमत नहीं है।
9. आपातकालीन स्थिति में तुरन्त चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जावे ।
10. अध्ययन के दौरान किसी भी विद्यार्थी/शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के कोविड–19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्तपाल/कोविड़ सेन्टर में ईलाज/आईसोलेशन हेतु रैफर/भर्ती किया जावे।
11. महाविद्यालय में अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते समय एवं बाहर आने के समय सेनेटाईजर/साबुन/पानी से हाथ धोने को प्रोत्साहित किया जावे ।
12. महाविद्यालय में प्रतिदिन काम आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरण को सेनेटाईज किया जावे ।
13. सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध हो एवं उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड कारित किया जावे ।
14. सभी फैकल्टी मैम्बर्स एवं विद्यार्थी ऐसी किसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में हैं, को छूने के उपरांत साबुन व पानी से हाथ धोऐं एवं सेनेटाईजर का उपयोग करें, इस हेतु यथा स्थान पोस्टर/स्टीकर लगाये जावें ।
15. महाविद्यालय अपने विद्यार्थी एवं फैकल्टी स्टाफ को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतू एप इंस्टाल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित व प्रोत्साहित करेगें ।
16. श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी नियमों की शक्ति से पालना की जावे, जिसके अन्तर्गत खॉसते–छींकते समय अपने मुँह व नाक को टिश्यू/रूमाल से ढ़कना न भूलें ।
17. अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखते हुये किसी भी प्रकार की बीमारी की तुरन्त रिपोर्ट करना ।

कोविड़–19 के संक्रमण से बचाव के लिये अनिवार्य है कि समस्त महाविद्यालयों में स्टाफ/विद्यार्थी इन दिशा निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। इन शर्तो का उल्लंघन नियमानुसार दण्डनीय है । अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें ।

(संदेश नायक)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

क्रमॉकः–एफ–7(4)प्रवेश/अकाद/आकाशि/2020/ जयपुर, दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड़ करने हेतु ।

आचार्य
वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जालोर (राज.)

(सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकःएफ7(4)शैक्षणिक कलैण्डर/अकाद/निकारे/03/1354 दिनांक 24 दिसम्बर, 2020

आदेश

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक प.6(1)सा.प्र.वि./6/2020 जयपुर दिनांकः 26.10.2020 की अनुपालना में आयुक्तालय के अधीन समस्त महाविद्यालयों में कलैण्डर वर्ष 2021 (ग्रेगोरियन) इ.शक संवत् 1942–43 में निम्नलिखित अवकाश घोषित किये है :–

सार्वजनिक अवकाश

क्र.सं.	अवकाश का नाम	राष्ट्रीय कलैण्डर	ग्रेगोरियन दिनांक	दिन का नाम
1	गुरुगोविन्द सिंह जयन्ती	30 पौष 1942	20.01.2021	बुधवार
2.	गणतन्त्र दिवस	06 माघ, 1942	26.01.2021	मंगलवार
3	महाशिवरात्रि	20 फाल्गुन, 1942	11.03.2021	गुरुवार
4	होलिका दहन	07 चैत्र, 1943	28.03.2021	रविवार
5	धुलण्डी	08 चैत्र, 1943	29.03.2021	सोमवार
6.	गुड फ्राइडे	12 चैत्र, 1943	02.04.2021	शुक्रवार
7	चेटीचण्ड	23 चैत्र 1943	13.04.2021	मंगलवार
8.	डॉ. अम्बेडकर जयन्ती	24 चैत्र, 1943	14.04.2021	बुधवार
9.	रामनवमी	01 वैशाख, 1943	21.04.2021	बुधवार
10.	महावीर जयन्ती	05 वैशाख, 1943	25.04.2021	रविवार
11.	परशुराम जयन्ती	24 वैशाख, 1943	14.05.2021	शुक्रवार
12.	ईदुलफितर (चॉद से)	24 वैशाख 1943	14.05.2021	शुक्रवार
13.	महाराणा प्रताप जयन्ती	23 ज्येष्ठ 1943	13.06.2021	रविवार
14.	ईदुलजुहा	30 आषाढ़, 1943	21.07.2021	बुधवार
15.	विश्व आदिवासी दिवस	18 श्रावण, 1943	09.08.2021	सोमवार
16.	स्वतत्रता दिवस	24 श्रावण 1943	15.08.2021	रविवार
17	मोहर्रम (ताजिया)(चॉद से)	28 श्रावण 1943	19.08.2021	गुरुवार
18.	रक्षाबंधन	31 श्रावण 1943	22.08.2021	रविवार
19.	श्री कृष्ण जन्माष्टमी	08 भाद्रपद, 1943	30.08.2021	सोमवार
20.	रामदेव जयन्ती व तेजादशमी एवं खेजड़ली शहीद दिवस	25 भाद्रपद, 1943	16.09.2021	गुरुवार
21.	महात्मा गांधी जयन्ती	10 आश्विन, 1943	02.10.2021	शनिवार
22.	नवरात्र स्थापना	15 आश्विन, 1943	07.10.2021	गुरुवार
23	दुर्गाष्टमी	21 आश्विन, 1943	13.10.2021	बुधवार
24	विजयादशमी	23 आश्विन 1943	15.10.2021	शुक्रवार
25	बारावफात (चॉद से)	27 आश्विन 1943	19.10.2021	मंगलवार
26	दीपावली	13 कार्तिक, 1943	04.11.2021	गुरुवार
27	गोवर्धन पूजा	14 कार्तिक 1943	05.11.2021	शुक्रवार
28.	भैया दोज	15 कार्तिक, 1943	06.11.2021	शनिवार
29.	गुरुनानक जयन्ती	28 कार्तिक, 1943	19.11.2021	शुक्रवार
30.	क्रिसमस डे	04 पौष 1943	25.12.2021	शनिवार

नोट :–

General Office order

प्राचार्य
वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जालोर (राज.)

वर्ष के समस्त रविवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। तथा प्रत्येक माह का दूसरा शनिवार का अवकाश द्वितीय शनिवार के दिवस से माह के अंतिम तारीख तक उसी माह में उपभोग किया जा सकेगा।

2. मुस्लिम अवकाश चन्द्रमा दिखाई देने पर निर्भर रहेंगें।
3. राज्य सरकार की आज्ञा संख्या एफ 1(80) शिक्षा–6/63 दिनांक 15.9.69 के अनुसार कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश महाविद्यालयों में लागू नहीं होंगे।
4. महाविद्यालयों में प्राचार्य को कलैण्डर वर्ष में 3 दिवस का अवकाश घोषित करने का अधिकार रहेगा।
5. राज्य सरकार की आज्ञा संख्या एफ (डी) (255) शिक्षा–2/विभाग दिनांक 11.2.63 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा घोषित ऐच्छिक अवकाश देय नहीं हैं, इसके बदले में महाविद्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को दो दिवस का क्षतिपूर्ति अवकाश ग्रीष्मावकाश की अवधि में देय होगा।
6. राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 1(520) शिक्षा–6/62 दिनांक 15.3.62 के आदेशानुसार निम्नलिखित राजपत्रित अवकाश के दिन महाविद्यालयों में अवकाश नहीं रहेगा एवं इन दिवसों में कार्य करने की एवज में नियमानुसार जिन्हें क्षतिपूर्ति अवकाश देय हैं, उन्हें क्षतिपूर्ति अवकाश ग्रीष्मावकाश की अवधि में देय होगा।

क्र.सं.	अवकाश का नाम	राष्ट्रीय कलैण्डर	ग्रेगोरियन दिनांक	दिन का नाम
1.	महात्मा गांधी जयन्ती	10 आश्विन,1943	02.10.2021	शनिवार
2.	नवरात्रा स्थापना	15 आश्विन, 1943	07.10.2021	गुरूवार

7. कोटा जिले में जन्माष्टमी के बाद आने वाला दिन स्वतः जन्माष्टमी के स्थान पर अवकाश के रूप में माना जावेगा।

(संदेश नायक IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. कुल सचिव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5. कुल सचिव, एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. कुल सचिव, महाराजा [illegible] सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. कुल सचिव, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
9. कुल सचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
10. कुल सचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
11. कुल सचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
12. कुल सचिव, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
13. पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
14. कुल सचिव, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
15. कुल सचिव, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
16. कुल सचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
17. निदेशक, [illegible] एवं [illegible] शिक्षा, [illegible], बीकानेर।
18. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
19. निदेशक, [illegible] शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
20. निदेशक, [illegible] शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
21. समस्त प्राचार्य, राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान।
22. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
23. प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।

24-12-20

(जी.के. सोनी)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

General Office order

प्राचार्य
वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जालोर (राज.)